# राजस्थान सरकार
# परिवहन विभाग
## परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: एफ 25 (74) / परि / कम्प्यू. / 2016 / 10603 जयपुर, दिनांक: 2-6-2016

**कार्यालय आदेश ...24... / 2016**

विभाग द्वारा वेब आधारित "सारथी 4.0" सॉफ्टवेयर के माध्यम से जन साधारण को चालक लाईसेंस से संबंधित सेवा इंटरनेट के माध्यम से पाईलेट प्रोजेक्ट के रुप में कुछ कार्यालयों में शुरु की गई थी। वेब आधारित "सारथी 4.0" सॉफ्टवेयर के माध्यम से लाईसेंस संबंधी सेवाओं के आवेदकों को कार्यालय में भी देय फीस का नगद भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध करवाई गयी है। भविष्य में राज्य के सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से वेब आधारित "सारथी 4.0" सॉफ्टवेयर के माध्यम से वाहन चालक लाईसेंस जारी किये जाने हैं। इस वेब आधारित सॉफ्टवेयर के द्वारा जारी की जाने वाली रसीदों के संबंध में निम्न दिशानिर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. कैश रसीद A4 आकार के सादा कागज के एक पृष्ठ के आधे भाग पर एक प्रति एवं शेष भाग पर उसकी दूसरी प्रति में जारी की जावेगी।
2. दोनों प्रतियों पर समान रसीद संख्या अंकित होगी।
3. आवेदक का नाम, लिंग एवं जन्मतिथी तथा आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के समय सिस्टम जनित एप्लीकेशन नंबर भी रसीद पर अंकित होगा।
4. इस रसीद की एक प्रति आवेदक को जारी की जावेगी एवं दूसरी प्रति कार्यालय उपयोग हेतु कैशियर द्वारा सुरक्षित रखी जावेगी।
5. कैश रसीद मोनो लेजर प्रिन्टर द्वारा जारी की जावेगी।
6. कैशियर द्वारा रसीद की दोनों प्रतियों पर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर किये जावेंगे।
7. कैशियर द्वारा प्रतिदिन जारी की गयी कैश रसीदों का RCR प्रिन्ट किया जावेगा तथा कार्यालय में पदस्थापित लेखाशाखा के वरिष्ठतम अधिकारी यथा लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार द्वारा इसकी प्रतिदिन जांच किये जाने की व्यवस्था पूर्ववत रहेगी।
8. वेब आधारित सारथी 4.0 के द्वारा जारी की गयी रसीदों का उपयोग वर्तमान में प्रयोग किये जा रहे सारथी 2.0 सॉफ्टवेयर के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए नहीं किया जावे, क्यों कि सारथी 4.0 के द्वारा जारी की जा रही कैश रसीद पूर्व की भांति सिक्योरिटी प्रिन्ट स्टेशनरी पर प्रिन्ट नहीं की जा रही है। यह व्यवस्था कार्यालय अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।
9. आवश्यकता होने पर सारथी 4.0 के द्वारा जारी की गयी रसीदों का सत्यापन आवश्यक रुप से केवल online माध्यम से ही किया जावेगा।
10. यह प्रक्रिया केवल वेब आधारित "सारथी 4.0" का उपयोग कर कार्यालय से जारी की जाने वाली रसीदों के लिए ही मान्य होगी। वर्तमान में कार्यालयों में प्रयोग किये जा रहे वाहन एवं सारथी सॉफ्टवेयर से जारी की जाने वाली रसीदों के संबंध में व्यवस्था यथावत् रहेगी।

11. सारथी 4.0 के द्वारा जारी होने वाली रसीदों का प्रारुप निम्नानुसार है :–

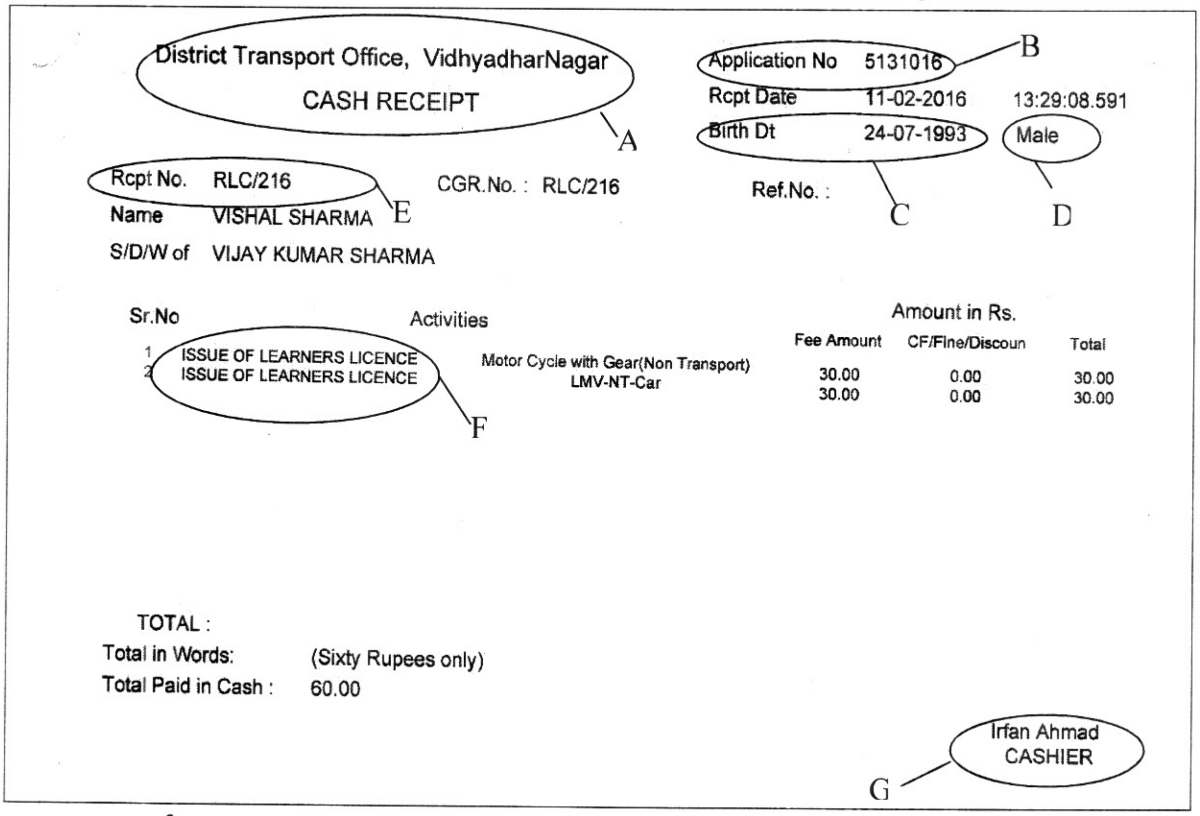
District Transport Office, VidhyadharNagar
CASH RECEIPT

| | |
|---|---|
| Application No | 5131016 |
| Rcpt Date | 11-02-2016 13:29:08.591 |
| Birth Dt | 24-07-1993 Male |
| Ref.No. : | |

Rcpt No. RLC/216 CGR.No. : RLC/216
Name VISHAL SHARMA
S/D/W of VIJAY KUMAR SHARMA

| Sr.No | Activities | | Fee Amount | CF/Fine/Discoun | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISSUE OF LEARNERS LICENCE | Motor Cycle with Gear(Non Transport) | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2 | ISSUE OF LEARNERS LICENCE | LMV-NT-Car | 30.00 | 0.00 | 30.00 |

Amount in Rs.

TOTAL :
Total in Words: (Sixty Rupees only)
Total Paid in Cash : 60.00

Irfan Ahmad
CASHIER



A – कार्यालय का नाम  B- एप्लीकेशन नंबर
C- जन्म तिथी  D- लिंग
E- रसीद संख्या  F- चाही गयी सेवा का विवरण
G- कैशियर का नाम एवं हस्ताक्षर

12. जिन परिवहन कार्यालयों में सारथी 4.0 पर कार्य शुरु किया जा चुका है इन कार्यालयों में अधिक से अधिक कार्य सारथी 2.0 के स्थान पर सारथी 4.0 पर किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

उक्त आदेशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावे।

शैलेन्द्र अग्रवाल
(परिवहन आयुक्त एवं
प्रमुख शासन सचिव)

क्रमांकः एफ 25(74)परि/कंप्यू./2016/16604-07  जयपुर, दिनांकः– 2-6-2016

**प्रतिलिपिः**

1. निजी सहायक, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण ........................................।
3. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी......................................।
4. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

2/6

अपर परिवहन आयुक्त (IT)

E:\SA\Letters & Notesheet\SA_UO_NOTE_2016_ashish.doc